"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 19 अप्रैल 2013—चैत्र 29, शक 1935

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

राज भवन, रायपुर
राज्यपाल का सचिवालय, छत्तीसगढ़

रायपुर, दिनांक 12 मार्च 2013

क्रमांक/एफ 57-2/रास/स्था./2011.—सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (क्रमांक 22 सन् 2005) की धारा 28 की उपधारा (1) और (2) (i) से (iv) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्यपाल का सचिवालय सूचना का अधिकार (आवेदन प्रस्तुति तथा शुल्क एवं लागत) नियम 2009 में निम्नलिखित और जोड़ा जाये, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों के नियम 7 के नीचे नियम 8 अतिरिक्त रूप से जोड़ा जावे :—

"8. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत केन्द्र शासन एवं राज्य शासन द्वारा सूचना का अधिकार के तहत् समय-समय पर बनाये गये नियम व अधिनियम भी लागू होंगे."

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.

No./F-57-2/GS/2011.—In exercise of the powers conferred by class (1) and (2) (i) to (iv) of Section 28 of the Right of Information Act, 2005 (No. 22 of 2005), the Governor of Chhattisgarh hereby makes the following further amendment in the Governor's Secretariat Chhattisgarh Right to Information (Submission of application and fee and cost) Rules 2009, namely :—

AMENDMENT

After rule the following Rule 8 is to be added in the existing Right to Information rule 2009.

"8. with reference to Right to Information Act, 2005, the amendments incorporate by Central Government as well as State Government from time to time shall be followed by the Governor's Secretariat."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एस. एल्मा, राज्यपाल के उप-सचिव.

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 28 मार्च 2013

क्रमांक 540/583/2013/1-8.—श्री ए. के. सामंतराय, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग को उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 19-03-2013 द्वारा सुपर टाइम स्केल वेतनमान रुपये 22850-500-24850 (Revised Rs. 70290-1540-76450) में नियुक्त करने के फलस्वरूप श्री ए. के. सामंतराय को प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 5 अप्रैल 2013

क्रमांक एफै 4-6/2006/1/एक.—राज्य शासन एतद्द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश कुमार अग्निहोत्री, न्यायाधिपति, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर को दिनांक 05 दिसंबर, 2012 से 10 दिसंबर, 2012 तक (06 दिन) का पूर्ण वेतन भत्तों सहित लघुकृत अवकाश का लाभ लेने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. कुंजाम, उप-सचिव.

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 अप्रैल 2013

क्रमांक एफ-1-19/2007/सात-3 (पार्ट-4).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भू-अभिलेख सेवा चतुर्थ श्रेणी, सेवा भर्ती नियम, 2010 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,—

अनुसूची की टीप (2) के पश्चात्, निम्नलिखित टीप (3) जोड़ी जाए, अर्थात् :—

"(3) बस्तर एवं सरगुजा संभाग के जिलों में, उपलब्ध चतुर्थ श्रेणी के पदों को सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-1/2012/1-3, दिनांक 17-01-2012 के अनुसार जिला स्तरीय पद घोषित किया जाए, चतुर्थ श्रेणी के इन पदों को ऐसे जिलों के स्थानीय निवासियों से अधिसूचना की तारीख से 2 वर्षों की कालावधि के लिए भरा जायेगा तथा इन पदों पर नियुक्ति के लिए संबंधित जिले के जिलाधीश नियुक्ति प्राधिकारी होंगे."

निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु निर्वाचन कार्यक्रम तैयार कर प्रशासनिक अनुमोदन हेतु नस्ती माननीय अध्यक्ष महोदय के स्तर पर प्रक्रियाधीन है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 "क" की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों के निर्वाचनों को 06 माह की अवधि के लिए मुल्तवी करती है.

रायपुर, दिनांक 28 फरवरी 2013

क्रमांक/940/डी-15/116/P-II/2004/14-2.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 69 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 5233/डी-15/116/2004/14-2, दिनांक 13-10-2008 में आंशिक संशोधन एवं छूट प्रदान करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, गन्ना फसल (जो राज्य के भीतर कृषकों द्वारा उत्पादित हो) पर प्रति 100 रुपये मूल्य पर 0.50 (पचास पैसे) की दर से मण्डी शुल्क नियत करती है, जो इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 31-03-2015 तक प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 28 फरवरी 2013

क्रमांक/एफ-04/01/2010/14-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/940/डी-15/116/P-II/2004/14-2 दिनांक 28-2-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

Raipur, the 28th February 2013

No./940/D-15/116/Part-II/2004/14-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 69 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973) and partly amending and relaxing the notification No. 5233/D-15/116/2004/14-2, dated 13-10-2008 of this department, the State Government, hereby, fixes Mandi Fee at the rate of Rs. 0.50 (Fifty paise) per 100 Rupees on sugarcane agriculture produce only (which is produced by farmer within the State), with effect from the date of publication of this notification upto 31-03-2015.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PRADEEP KUMAR DAVE, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 14 मार्च 2013

क्रमांक/1213/डी-15/116/पार्ट-2/2004/14-2.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 69 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम एवम् पंजीकृत बीज उत्पादन सहकारी समितियों, जो छत्तीसगढ़ राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की देख-रेख में, कृषकों के प्रक्षेत्रों में बीज उत्पादन

कार्यक्रम संचालित कर रही है, को उत्पदित बीज के क्रय करने पर जुलाई, 2005 से आगामी आदेश तक समस्त प्रकार की प्राप्त फसलों के बीज पर मण्डी शुल्क से छूट प्रदान करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 14 मार्च 2013

क्रमांक/एफ-04/01/2010/14-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/1213/डी-15/116/पार्ट-2/2004/14-2 दिनांक 14-3-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

Raipur, the 14th March, 2013

No./1213/D-15/116/Part-II/2004/14-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 69 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government, hereby, exempts Chhattisgarh State Beej Evam Krishi Vikas Nigam and registered Seed Production Co-operative Society which organise Seed Production Programme for area of farmers under the supervision of Chhattisgarh State Seed Certification Institute, from payment of Mandi fees for puchasing of all types produced crop seed from July, 2005 till further order.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PRADEEP KUMAR DAVE, Deputy Secretary.

लोक निर्माण विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 8 अप्रैल 2013

क्रमांक एफ 14-26/2012/19/तक-4.—भारतीय पथकर अधिनियम, 1851 (1851 का सं. 8), जैसा कि यह छत्तीसगढ़ राज्य में लागू है, की धारा 2 सहपठित धारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 23-10/97/जी/19, भोपाल, दिनांक 29-06-1998 को अतिष्ठित करते हुए, एतद्द्वारा, गरियाबंद जिले में राजिम-फिंगेश्वर-महासमुंद मार्ग के कि.मी. 20/4 पर स्थित सुखानाला पुल पर पथकर की वसूली दिनांक 10-04-2013 से समाप्त करती है.

No F-14-26/2012/19/T-4.—In exercise of the powers conferred by section-2 read with Section-4 of the Indian Tolls Act, 1851 (No. VIII of 1851) in its application to the State of Chhattisgarh, the State Government, in supersession of department's Notification No. F-23-10/97/G/19, Bhopal, dated 29-06-1998, hereby, stops the levy of Tolls on Shukha Nala Bridge, located at 20/4 Km. of Rajim-Fingeshwar-mahasamund Road in Gariyaband District, with effet from 10-04-2013.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एम. लुलु, उप-सचिव.